5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

146

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी – 5000/2018/देवास/भू.रा.

1. मनोहरसिंह पिता पूरणसिंह सेंधव,
2. कुमेरसिंह पिता पूरणसिंह सेंधव
3. झन्नूबाई विधवा पूरणसिंह सेंधव,
4. नरेन्द्रसिंह पिता कुमेरसिंह सेंधव,

सभी निवासी ग्राम बेडामऊ, कृषक ग्राम अगुरली तहसील बागली जिला देवास म.प्र.

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1. शिवकुंवरबाई पति शंकरसिंह
2. रसुबाई पिता जीवनसिंह
3. अशोक पिता जीवनसिंह

सभी निवासी ग्राम अगुरली तहसील बागली जिला देवास म.प्र. –– अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय बागली जिला देवास के प्र.क्र. 1/अ–13/16–17 में पारित आदेश दिनांक 17–7–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न आधार पर यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टयां ही सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की भूमि में से कोई मार्ग नहीं होने की पुष्टि साक्षियों द्वारा की गयी है इसके उपरांत भी राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन मात्र को आधार मानते हुए आवेदकगण की भूमि में से नवीन मार्ग दिये जाने का आदेश देने में त्रुटि की है।

4

....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5000/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	